

7/8/19

पत्रावली पेश है। तबिल इम 45 इपानिपत।
 इमीलिंग सं 1 व 2 तथा रिपोर्ट सं 13 पिता, माता
 एवं पुत्री इपानिपत जितनी पहचान उनके इमीलिंग
 ने की। मामले में शेष रिपोर्ट्स जारी पत्रकार
 हैं। सभी रिपोर्टों को भेजे गए सम्पत्ति काद हलका
 पत्रावली द्वारा तामील सवाका पेश किए हैं। सम्पत्ति
 पर लिखी तहरीर से स्पष्ट होता है कि सम्पत्ति पर
 सम्पत्ति की तामील सम्पत्ति रूप से हो चुकी है।
 इपानिपत पसव्यावर से सम्पत्ति की तामील पर इकित
 नामों को उनके संबंध के बाबर पुंलिकाली
 जाते हैं। न्यायालय इतिहास का इतिहास है कि शेष
 सभी औपचारिक पसव्यावरों को भी सम्पत्ति तामील
 हो चुकी है पानु के इपानिपत नहीं है। इतिहास
 बाबरगाठी काले हुए अत्र (देवा लाजगी है)
 P.T.O.



500 रोकिए

25/11/19
[Signature]



P.T. 2
तुलसी (Rasp. 13)

[Signature]

10 45/3/19



वकील अपील का कथन है कि रीपो
खेड़ा 13 तुलसी पुरी उतमाराय ने अपना सम्पत्ति
हस्ता सती खेड़ा में 20 हिस्सा दिनांक 4.3.2008 को
अपीलांत रावताराय के पक्ष में एकतरफ कर दिया था।
लिपिकीय मूल से खेत ख.नं० 486 रकबा 3.16
कीछा गांव खेड़ीपाली गाड़ी का एकतरफ नामा में लिखित
मूल गया जो काकी सती खेड़ा के एकतरफ नामा
कर दिया था। अपीलान्त न्यायालय ने जो डिप्री डि
10.5.2018 को जारी की है उनके तुलसी को
अपीलांत रावताराय, माद के साथ सती करार
नकर में शाहमारी खेड़ा दिया है जबकि तुलसी
ने अपने हिस्से का एकतरफ कर दिया है मात्र
खेड़ा नं० 486 रकबा 3.16 बीघा का ही
तुलसी कथन है कि पूर्व स्वयंसेवक जो खेड़ा
पत्रा दि. 8.8.2016 को जमा किया गया है उनके
तुलसी का ख.नं० 486 रकबा 3.16 बीघा इलाका
दरुमिा गजा है जबकि बाद वाले शाहमारी दर्जा दिया है।
एक खेड़ा में तुलसी का ख.नं० 486 रकबा
3.16 बीघा एक अपीलान्त गजा के हिस्से से
पृथक कर दिया जावे।



स्वयं तुलसी वकील रीपो सं 13 तुलसी एवं
ने अपीलान्त गजा के कानों को
स्वीकार कर अपनी हदपत्र स्वयं को जेरीवा
के हाथिसे पर हाताकर किए हैं। उनके अपील
के संबंध में गलीगानि समझाना व वकील
की राय एवं प्रशक्ति पर्याप्त हरे रही एवं
सटीक होकर स्वीकार किया जिसे न्यायालय किया
जाता है। पत्रावली पर इतलख विनायक
पत्राव रंगीत नकशा " पारिशिल 30"
को सही स्वीकार कर बाद नसीब हाताकर
किये जिसे अपीलान्त के हिस्से में से
ख.नं० 486 रकबा 3.16 बीघा करेगा
तुलसी रीपो सं 13 गलेली का पृथक
रखा गया स्वीकार किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजमेहर P.T.O

नंबर व तारीख
म जो इस
तामील
हुए

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रावताराम वगैरे खतम जेहाराम वगैरे</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	---	---

7-8-19

उपर्युक्त सहमति एवं स्वीकृति के क्रम में
कृषि जमीन कांडों की शीर्षक रूप से रोपण सं 13
तुलसी पुत्री उत्तमराज की सहमति से स्वीकार
की जाकर बहालक कालक (500) गुडामालानी के
धु. नं. 24/2014 में निर्णय दि. 10-5-18
एवं डि. 27-05-16 में आंशिक संग्रोधन
क्रिया जाकर सं. 1 पर उल्लिखित प्रविष्टि
को सहमति के अन्तर्गत विभाजित किया जाकर
विस्तार प्रकार से किया जाता है-

1. रावताराम वल्लभ	गांव	ख. नं.	सं. नं.	कि. मी.	मजान (घ.)	वर्ग
मोक्ताराम, माइदेवी	सिधौली	11	24-00	का. सं.	1.16	गुलकी
पत्नी रावताराम कौम	नी बेंसी	11	8-04	वा. सं.	0.41	(इस प्रकार अपवाद)
अए सा. दे. खातेदार	बाठ	403	26-12	वा. सं.	1.66	
		<u>3</u>	<u>58-16</u>		<u>3.23</u>	
2. तुलसी पुत्री उत्तमराज	खडियाली	486	3-16	वा. सं.	0.24	संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार ABCD भाग
कौम अए सा. दे. खातेदार	नदी	<u>1</u>				



सहीलका गुडामालानी उपर्युक्त उपादा हितों का
कमल रामदा राजस्व रिकॉर्ड में करके इस संलग्न
"परिशिष्ट" "क" में आवेता उपादा तरजीम का पुस्तिका को
पालना पहावे।
निर्णय प्रकाशित पत्रकारों की सहमति से
एवं उपस्थिति में सुनाया गया।
पत्रावली कोमल शुभार होकर नंबर की काम हो।
बाड तबकील दाखिल एफर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
वाडमेर


नम्बर व
अहकाम को
बुझा को सा
जाये हुए

पारिशिष्ट "अ"

7/8/19

आयुक्त RAA काउन्सिल
अधीन U/S 222 RT Act
अधीन सं. 46/2019
राजस्थान का आधिकारिक
कार्य

अधीन सं. 46/2019
राजस्थान का आधिकारिक
कार्य




विधि क्रम
7/8/19

अधीन सं. 486 के अंतर्गत
3.16 बीघा के क्षेत्र में
अधीन सं. 46/2019 के अंतर्गत
अधीन सं. 13 के अंतर्गत
के अंतर्गत में रखा जाना उचित
पक्ष द्वारा आधिकारिक



राजस्थान अपील अधिकारी
वाडमेर
होकर स्वीकार किया
गया है काट नहीं
गिराया गया।
यह विधि का आधिकारिक
अधीन सं. 46/2019
A B C D हिसाब से
अधीन सं. 13 के अंतर्गत
रखा गया।



अधीन सं. 46/2019

अधीन सं. 1 → 7/8/19
अधीन सं. 2 → 7/8/19



7/8/19

राजस्थान अपील प्राधिकारी
वाडमेर

अधीन सं. 13
Bansal
(अधीन सं. 13)

मूल से मिलान किया गया
जो सही पाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपरोक्त अधिकारी
गुडामालानी